न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीमती रक्षा पारीक (आर.ए.एस.)**
पत्रावली संख्या 01 / 2024
किस्म :– अपील
दायर दिनांक : 29.01.2024 **निर्णय दिनांक : 21.05.2024**

अनवान

1. श्रीमती मिठु पुत्री उदा पत्नी गोवर्धन गुर्जर निवासी टणका तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)
2. श्रीमती सुखी पुत्री उदा पत्नी मोतीलाल गुर्जर निवासी टणका तहसील आमेट हाल मासिंगपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमंद।

............अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहन दत्तक पुत्र उदा गुर्जर निवासी टणका तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. ग्राम पंचायत खाखरमाला, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत खाखरमाला, तहसील जिला राजसमंद

................रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 07.11.1998 ग्राम पंचायत खाखरमाला तहसील आमेट जिला राजसमंद

अपीलान्ट की ओर से :– अधिवक्ता धर्मेश शर्मा

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण गलत व अवैध रूपेण स्वीकृत किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय, सिद्वान्तों के विपरित होकर काबिले निरस्त योग्य है। अपीलार्थी के पिता उदा जी की मृत्यु के बाद अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण नाम नहीं जोड कर भारी विधिक त्रुटी की है। उदा पिता दोला जी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है–

उदा पिता दोला – फोत

मिठु पुत्री | सखु पुत्री | मोहन दत्तक पुत्र

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

ग्राम पंचायत को अपीलाधीन नामान्तरकरण के संबंध में निर्णय बाबत् विधिक अधिकारिता नहीं थी, क्योंकि उदा जी की मृत्यु के एक वर्ष बाद पटवारी साहब द्वारा दिनांक 13.09.88 को नामान्तरकरण भरा गया, पटवारी हल्का खाखरमाला द्वारा उक्त नामान्तरकरण में उदा जी के वारिशान के रूप में अपीलार्थीगण मिठू व सखु के नाम अंकन किए है, जो ग्राम पंचायत खाखरमाला द्वारा दिनांक 07.11.88 को स्वीकृत किया किन्तु उक्त स्वीकृत किए गए नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण जो उदा जी के वारिसान थे के नाम पर स्वीकृति नहीं की जाकर केवल मात्र दत्तक पुत्र मोहन के नाम पर ही विरासत के रूप में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जो ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण का नाम नहीं जोड कर नामान्तरकरण स्वीकृत करने में त्रुटी की है। उदा जी विरासत से खुले नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण के नाम भी वारिसान के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए थे। अपीलार्थीगण ने जमाबन्दी की नकल प्राप्त की, जिस पर ज्ञात हुआ कि अपीलार्थीगण का उनके पिता की संपति में नाम दर्ज नहीं है, जिस पर अपीलार्थीगण ने नामानतरकरण एवं पुरानी जमाबन्दी संवत् 2042 से 2045 नकल लेकर यह अपील यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर जानकारी की दिनांक से बिना विलम्ब प्रस्तुत की जा रही है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 07.11.88 को निरस्त अथवा अपास्त किया जाकर स्व. उदा पिता दोला गुर्जर निवासी टणका के नाम पर वर्णित जमीनों में नामानतरकरण अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 के नाम स्वीकृत करने की कृपा करावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 व 02 की तामील रजिस्टर्ड ऐडी से करवायी गई, जिसकी प्राप्ति रसीद एक माह उपरान्त प्राप्त नहीं, जिससे आदेश 05 नियम 09(ग) के तहत न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में नामान्तरकरण की प्रति, जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड कार्ड की प्रति प्रस्तुत की।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बहस मे दिये गये उजरात, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 07.11.88 का अवलोकन करने से ताईद है कि नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण जो उदा जी के वारिसान थे के नाम पर स्वीकृति नहीं की जाकर केवल मात्र दत्तक पुत्र मोहन के नाम पर ही विरासत के रूप में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जो कि निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य सावित है।

–: आदेश :–

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत खाखरमाला द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 07.11.1988 खारिज करते हुए इस निर्देश के साथ तहसीलदार आमेट को रिमाण्ड किया जाता है कि समुचित जांच कर दोनों पक्षो को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए नामान्तकरण पुनः खोला जाकर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में उदा जी के वारिसान श्रीमती मिठु एवं श्रीमती सुखी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं राजस्व ग्राम टणका पटवार हल्का खाखरमाला तहसील आमेट जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता संख्या नया 95 पुराना 101 जिसके आराजी नम्बर 633 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 635 रकबा 0.0400 हैक्टेयर,

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

आराजी नम्बर 636 रकबा 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 0.1600 हैक्टेयर व खाता सं. नया 06 पुराना 08 आराजी नम्बर 193 रकबा 0.0100 हैक्टेयर के सम्बन्ध में विपक्षीगण के विरुद्ध रेकार्ड की यथास्थिति आदेश को निरस्त किया जाता है। शेष अंकन बदस्तुर रहे। निर्णय की प्रति तहसीलदार आमेट को भेजी जावें। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।

(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
जिला राजसमंद

निर्णय आज दिनांक को 21.05.2024 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
जिला राजसमंद